प्रथम सूचना रिपोर्ट

(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला चौकी – भ्र0नि0 ब्यूरो,हनुमानगढ़ थाना– प्र0आ0के. भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष– 2022
प्र0सू0रि0 सं. 484/22 दिनांक 23/12/2022

2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारा 7

(2) अधिनियम .... धाराएं ....

(3) अधिनियम.. धाराएं..................................

(4) अन्य अधिनियम एवं .... धाराएं..................................

3. (क) घटना का दिन–बृस्पतिवार दिनांक. 22.12.2022 से दिनांक...05.35 पीएम........ तक

पहर...................... बजे से ....

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना .... दिनांक– 02.12.2022 समय : 05.15 पीएम

(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या 449 समय 4:20 pm

4. सूचना कैसे प्राप्त हुइ– स्वयं हाजिर होकर, लिखित/मौखिक– लिखित

1. घटना स्थल का ब्यौरा
2. (क) थाने से दिशा एवं दूरी– चौकी से बजानिब पश्चिम दिशा बफासला करीब 60 किमी.
.... बीट संख्या..........

(ख) पता – आनन्द हास्पीटल सैक्टर नंबर 17 श्रीगंगानगर

(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस

थाने का नाम.. जिला ....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला)

(क) नाम– श्री नरेश कुमार आनन्द

(ख) पिता/पति का नाम– श्री जीवनदास

(ग) जन्म तिथि/उम्र 77 वर्ष (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय (ङ) पासपोर्ट संख्या.................................

जारी करने की तिथि.................................. जारी करने का स्थान...................................

(च) व्यवसाय– ......

(छ) पता– निवासी आनन्द हास्पीटल सैक्टर नं. 17 हनुमानगढ़ रोड़ श्रीगंगानगर ।

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1.श्री शुगन चन्द पुत्र श्री गोपीराम जाति कुम्हार उम्र–49 वर्ष निवासी मकान नंबर 4 डी 4 सदभावना नगर पु0था0 सदर श्रीगंगानगर हाल सहायक अग्निशमन अधिकारी, दमकल विभाग,नगर परिषद श्रीगंगानगर

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण...कोई नहीं

9. चोरी हुई सम्पति का विवरण :– आरोपित श्री शुगन चन्द सहायक अग्निशमन अधिकारी, दमकल विभाग नगर परिषद श्रीगंगानगर द्वारा परिवादी श्री नरेश कुमार आनन्द के आनन्द हास्पीटल की फायर एन.ओ.सी. जारी करने की एवज में 30000/–रूपये की मांग करना, परिवादी द्वारा मांग के अनुसंरण में रिकवेस्ट करने पर 25000/–रूपये लेने हेतु सहमत होना, व वक्त रिश्वत लेन देन आरोपी श्री शुगन चन्द सहायक अग्निशमन अधिकारी, दमकल विभाग श्रीगंगानगर द्वारा

25000/–रूपये रिश्वत प्राप्त करना, जो आरोपी श्री शुगन चन्द सहायक अग्निशमन अधिकारी, दमकल विभाग,नगर परिषद श्रीगंगानगर के पहने लॉवर की पीछे की बांयी साईड की जेब से बरामद होना, श्री शुगन चन्द सहायक अग्निशमन अधिकारी, दमकल विभाग,नगर परिषद श्रीगंगानगर को परिवादी से 25,000/–रूपये रिश्वत प्राप्त करते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार करना।

10. चोरी हुई सम्पति का कुल मूल्य–..... ट्रेप राशि **25,000/–रू0**

11. **प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु**

सेवा में,श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो,हनुमानगढ। विषयः–रिश्वत मांगने वाले श्री शगुन वर्मा, कार्मिक फायर आफिस श्रीगंगानगर के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने बाबत महोदय, निवेदन है कि मै नरेश कुमार आनन्द प्रेमनगर श्रीगंगानगर में रहता हूॅ। मैने अपने बेटे के लिए हास्पीटल सैक्टर 17 हनुमानगढ़ रोड़ श्रीगंगानगर में बनवाया है। उक्त हास्पीटल को मेरा डाक्टर दीपक आनन्द संभालता है। हमने हमारे उक्त हास्पीटल की फायर N.O.C. के लिए फायर आफिस श्रीगंगानगर में लगभग दो माह पूर्व नियमानुसार आवेदन किया था परन्तु हमारी N.O.C. जारी नहीं हुई तब मैं व हमारे हास्पीटल के स्टाफ श्री रविन्द्र सिह खत्री पिछले सप्ताह फायर आफिस श्रीगांनगर में जाकर हमारी N.O.C. के बारे में मालूमात किया तो N.O.C. की फाईल इस कार्यालय में पेण्ड़िग चल रही थी। इसी दौरान इसी आफिस के कर्मचारी श्री शगुन वर्मा ने मेरे साथ गये श्री रविन्द्र सिह खत्री को कहा कि N.O.C. ऐसे ही जारी नहीं होगी इसके लिए आपको मुझे नरेश जी से 30000 रूपये दिलवाने पडेंगे। यह बात श्री रविन्द्र सिह ने वहीं पर मुझे बताई तो मैने श्री शगुन वर्मा से इस बारे में बात करनी चाही तो श्री शगुन वर्मा ने मुझे कहा कि मैने जो बताना था वह रविन्द्र जी को बता दिया है आप उसी अनुसार आगे कार्यवाही करो ताकि मैं आपकी N.O.C. जारी करवा सकूं। और उन्होने कहा कि आप अगली बार जब भी हमारे आफिस आयें तो श्री रविन्द्र जी को ही साथ लाना। इसके बाद मैं और रविन्द्र जी वहां से आ गये मैं श्री शगुन वर्मा को 30000 रूपये की रिश्वत नहीं देना चाहता हूॅ बल्कि इसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूॅ। श्री शगुन वर्मा हमारी N.O.C. जारी करने के लिए बातचीत व लेनदेन श्री रविन्द्र सिह से ही करेगा। अतः श्री शगुन वर्मा के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी –एसडी–नरेश कुमार आनन्द S/o श्री जीवनदास, आनन्द हास्पीटल सैक्टर 17 हनुमानगढ़ रोड़ श्रीगंगानगर Mob.N. 99505–99166 दिनांक 2.12.22

कार्यवाही पुलिस

दिनांक :–02.12.2022 समयः–05.15 पीएम स्थान आनन्द हास्पीटल सैक्टर नं. 17 श्रीगंगानगर प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 02.12.2022 को मन् उप अधीक्षक पुलिस मय श्री वरूण कुमार कानि. व ओमप्रकाश कानि. चालक के सरकारी बोलेरो गाड़ी से मय अनुसंधान बाक्स के दीगर राजकार्य से माननीय न्यायालय एसीबी श्रीगंगानगर में मुकिम हूं, जहां पर श्री नरेश कुमार आनन्द उपस्थित आये व गोपनीय कार्यवाही के संबंध में वार्ता की जिसे मुनासिब हिदायत देकर अपने कार्यस्थल पर उपस्थित मिलने हेतु कहा गया, इस समय मन् उपअधीक्षक पुलिस दीगर राजकार्य से फारिक होकर श्री नरेश कुमार आनन्द से वार्ता अनुसार तय स्थान आनन्द हास्पीटल सेक्टर नं. 17 श्रीगंगानगर पहुंचा जहां पर श्री नरेश कुमार आनन्द पुत्र श्री जीवनदास निवासी आनन्द हास्पीटल सैक्टर नं. 17 हनुमानगढ़ रोड़ श्रीगंगानगर व श्री रविन्द्र खत्री पुत्र श्री केवल सिह निवासी 82 मुखर्जी नगर श्रीगंगानगर उपस्थित मिले, श्री नरेश कुमार आनन्द ने मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुतत कर उक्त प्रार्थना पत्र अपने हस्तलिखित का होना बताकर उस पर अपने हस्ताक्षर करना बताया, परिवादी श्री नरेश कुमार आनन्द के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, परिवादी श्री नरेश कुमार आनन्द ने मजीद दरियाफ्त पर बताया कि मैने अपने बेटे के लिए एक हास्पीटल सैक्टर 17 हनुमानगढ़ रोड़ श्रीगंगानगर में बनाया है। उक्त हास्पीटल को मेरा लड़का डॉक्टर दीपक आनन्द सम्भालता है, हमने हमारे उक्त हास्पीटल की फायर एन.ओ.सी. के लिए फायर आफिस श्रीगंगानगर में लगभग दो माह पूर्व नियमानुसार आवेदन किया था परन्तु हमारी एन.ओ.सी. जारी नहीं हुई तब मैं व हमारे हास्पीटल के स्टाफ श्री रविन्द्र सिह खत्री पिछले सप्ताह फायर आफिस श्रीगंगानगर में जाकर हमारी एन.ओ.सी. के बारे में मालूमात किया तो एन.ओ.सी. की फाईल इस कार्यालय में ही पेंडिग चल रही थी। इसी दौरान इसी आफिस के कर्मचारी श्री शगुन वर्मा ने मेरे साथ गये श्री रविन्द्र सिह खत्री को कहा कि एन.ओ.सी. ऐसे ही जारी नहीं होगी इसके लिए आपको मुझे नरेश जी से 30000/–रूपये दिलवाने पडेंगे। यह बात श्री रविन्द्र सिह खत्री ने वहीं पर मुझे बताई तो मैने श्री शगुन वर्मा से इस बारे में बात करनी चाही तो श्री शगुन वर्मा ने मुझे कहा कि मैने जो बताना था वह श्री रविन्द्र जी को बता दिया है आप उसी अनुसार आगे कार्यवाही करो ताकि मैं आपकी एन.ओ.सी. जारी करवा सकूं और उन्होने कहा कि आप अगली बार जब भी

हमारे आफिस आयें तो श्री रविन्द्र जी को ही साथ लाना, इसके बाद मैं और रविन्द जी वहां से आ गये, मैं श्री शगुन वर्मा को 30000/–रूपये रिश्वत नहीं देना चाहता हूं बल्कि उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। श्री शगुन वर्मा हमारी एन.ओ.सी. जारी करने के लिए बातचीत व लेन देन श्री रविन्द्र सिह खत्री से ही करेगा। मौके पर उपस्थित श्री रविन्द्र सिह खत्री ने उक्त वार्ता की ताईद की। परिवादी श्री नरेश कुमार आनन्द के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व परिवादी श्री नरेश कुमार आनन्द व श्री रविन्द्र सिह खत्री से पुछताछ में मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का बनना पाया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का गोपनीय सत्यापन करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। परिवादी का प्रार्थना पत्र मय आधार कार्ड व ड्राईविंग लाईसेंस की फोटोप्रति व श्री रविन्द्र सिह खत्री के आधार कार्ड की फोटोप्रति शामिल पत्रावली की गई। समय 05.40 पीएम पर परिवादी श्री नरेश कुमार आनन्द व श्री रविन्द्र सिह खत्री को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन के बारे में पूछने पर उन्होने स्वीकृति प्रदान की, फिर परिवादी श्री नरेश कुमार आनन्द व श्री रविन्द्र सिह खत्री ने बताया की कल व परसो सरकारी कार्यालयों में अवकाश है इस कारण श्री शगुन वर्मा हमें दो दिन नहीं मिलेगें आप सोमवार को सुबह अपने कार्यालय के किसी कार्मिक को भेज देना हम श्री शगुन वर्मा से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा, इस पर परिवादी श्री नरेश कुमार आनन्द व श्री रविन्द्र सिह खत्री को मुनासिब हिदायत दी गई, मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के आन्नद हास्पीटल सैक्टर नं. 17 श्रीगंगानगर से ब्युरो कार्यालय के लिए रवाना हुआ। समय 07.00 पीएम पर मन् उपअधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। दिनांक 05.12.2022 समय 09.00 एएम पर श्री विनय विशाल कानि. को ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत कर परिवादी श्री नरेश कुमार आनन्द व सहपरिवादी श्री रविन्द्र सिह खत्री से संपर्क कर गोपनीय सत्यापन कार्यवाही करवाने हेतु श्रीगंगानगर के लिए रवाना किया। समय 02.00 पीएम पर श्री विनय विशाल कानि0 576 गोपनीय सत्यापन हेतु गया हुआ ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया। विनय विशाल कानि0 ने ब्यूरो का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर बंद हालत में मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द करते हुए बताया कि मैं ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर श्रीगंगानगर आनन्द हास्पीटल पहुंचा तो परिवादी श्री नरेश कुमार आनन्द व सहपरिवादी श्री रविन्द्र खत्री उपस्थित मिले। परिवादी व सहपरिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू व बंद करने की विधि समझाई गई, फिर परिवादी व सहपरिवादी के साथ रवाना होकर फायर कार्यालय श्रीगंगानगर के पास पहुंचा, सहपरिवादी श्री रविन्द्र खत्री को ब्यूरो का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर परिवादी व सहपरिवादी को फायर कार्यालय श्रीगंगानगर की ओर रवाना किया, मैं गोपनीय स्थान पर मुकिम हो गया। कुछ समय पश्चात परिवादी नरेश कुमार आनन्द व सहपरिवादी श्री रविन्द्र खत्री मेरे पास आये और श्री रविन्द्र खत्री ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द कर बताया कि हमारी आरोपी सुगन वर्मा से रिश्वत के संबंध में बातचीत हो गयी है जिसे हमारे द्वारा रिकवेस्ट करने पर 5000/–रूपये कम लेने हेतु सहमत होकर 25000/–रूपये रिश्वत लेने हेतु सहमत हुआ है, परिवादी व सहपरिवादी ने बताया कि आरोपी ने कहा है कि उसे एनओसी जारी करवाने में कुछ दिन लगेगें। मै आपसे अपने आप संपर्क कर लूंगा, परिवादी व सहपरिवादी ने कहा की हमे आज जरूरी काम है इस कारण अब आपके साथ हनुमानगढ़ नही चल सकते, इस पर आपके निर्देशानुसार परिवादी व सहपरिवादी को वहीं छोड़ते हुए मै वहां से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ उपस्थित आया हूं। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर का चलाकर सुना गया तो रिश्वत मांग सत्यापन के तथ्यों की ताईद हुई । आईन्दा परिवादी व सहपरिवादी से संपर्क कर उक्त रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर डी.वी.डी. में डाउनलोड करवायी जायेगी। ब्यूरो के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा। दिनांक 20.12.2022 समय 06.00 पीएम पर परिवादी श्री नरेश कुमार आनन्द ने जरिये दूरभाष मन् उप अधीक्षक पुलिस को संपर्क कर बताया की आज श्री सुगन वर्मा द्वारा हमें किसी के साथ मैसेज करवाया की आप कल सुबह मेरे से बात करें, इस पर परिवादी श्री नरेश कुमार आनन्द को आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 21.12.2022 समय 09.00 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय श्री वरूण कुमार कानि. , श्री विनय विशाल कानि., श्री ओमप्रकाश कानि.चालक व आवश्यक अनुसंधान बाक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स मय दिनांक 05.12.2022 को मांग सत्यापन रिकॉर्ड किया हुआ डी.वी.आर. हमराह लेकर जरिये सरकारी वाहन से परिवादी व सहपरिवादी से संपर्क करने व दीगर राजकार्य हेतु श्रीगंगानगर के लिए रवाना हुआ। दिनांक 21.12.2022 समय 11.30 एएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा श्रीगंगानगर आनन्द हास्पीटल पहुंचा जहां पर परिवादी श्री नरेश कुमार आनन्द व सहपरिवादी श्री रविन्द्र सिह खत्री उपस्थित मिले, सहपरिवादी श्री रविन्द्र सिह खत्री ने बताया की कल श्री सुगन वर्मा ने किसी के साथ मुझे मैसेज करवाया था जिस पर उससे आज मैने जरिये फोन संपर्क किया तो उसने कहा की आप तैयार रहना मै आपको शाम चार बजे फोन करके कार्यालय बुला लूंगा। इस पर परिवादी श्री नरेश कुमार आनन्द व सहपरिवादी श्री रविन्द्र सिह खत्री को हिदायत मुनासिब की गई एंव रिश्वत में दी जाने वाली राशि 25000/–रूपये की व्यवस्था करने बाबत कहा गया। समय 11.40 एएम पर गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने पर श्री हंसराज मुख्य

आरक्षक को जरिये दूरभाष निर्देशित किया कि गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह व स्वंय एंव ब्यूरो स्टाफ के कानि श्री राजेश कुमार कानि. 484, श्री संदीप कानि. 273 व श्रीमती सोनू म0कानि0 175 व फिनाफ्थलीन पाउडर की शीशी को हमराह लेकर प्राईवेट वाहन से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर 3.00 पीएम तक आनन्द हास्पीटल सैक्टर नं. 17 श्रीगंगानगर पर आकर मन् उपअधीक्षक पुलिस से संपर्क करें। समय 11.45 एएम पर मन् उपअधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के आनन्द हास्पीटल श्रीगंगानगर से रवाना होकर दीगर राजकार्य में मशरूफ हुआ। दिनांक 21.12.2022 समय 03.00 पीएम पर मन् उपअधीक्षक पुलिस दीगर राजकार्य कर मय हमराहीयान व आवश्यक अनुसंधान बाक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स मय दिनांक 05.12.2022 को मांग सत्यापन रिकॉर्ड किया हुआ डी. वी.आर. के आनन्द हास्पीटल सैक्टर नंबर 17 श्रीगंगानगर पर पहुंचा, जहां पर पूर्व हिदायतानुसार श्री हसंराज मुख्य आरक्षक 55 मय श्री राजेश कुमार कानि. 484, श्री सदींप कानि. 273, श्रीमती सोनू महिला कानि. 175 मय सरकारी स्वतंत्र गवाह श्री बाबूलाल कनिष्ठ सहायक व श्री राजेश कुमार वरिष्ठ सहायक जल संसधान विभाग हनुमानगढ़ के साथ मय फिनाफ्थलीन पाउडर की शीशी सहित मन् उपअधीक्षक पुलिस को मौजूद मिले एंव मुख्य अभियंता जलसंसाधन उत्तर हनुमानगढ़ संगम के नाम से ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ से जारी गोपनीय कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह तलबी का पत्र की कार्यालय प्रति एंव कार्यालय मुख्य अभियंता जल संसाधन उत्तर हनुमानगढ़ के कार्यालय का पंत्राक 9803 दिनांक 21.12.2022 की स्वतंत्र गवाह नियुक्ति की प्रति पेश की जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 03.20 पीएम पर उपस्थित परिवादी श्री नरेश कुमार आनन्द व सहपरिवादी श्री रविन्द्र सिह खत्री से उपस्थित आये सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को मिलवाया जाकर आपसी परिचय करवाया गया व परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से सरकारी स्वतंत्र गवाहन को अवगत करवाया गया। जिन्होने स्वेच्छा से स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति देने पर उन्हे कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह शामिल किया गया। समय 03.30 पीएम पर परिवादी श्री नरेश कुमार आनन्द पुत्र श्री जीवनदास निवासी आनन्द हास्पीटल सैक्टर नं. 17 हनुमानगढ़ रोड़ श्रीगंगानगर ने आरोपित श्री सुगन वर्मा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पांच–पांच सौ रूपये के 50 नोट कुल 25,000/– रूपये मुझ उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष पेश किये जिनके नम्बर निम्न प्रकार है :–

क्र.स.	नोटों का विवरण	नम्बर
1	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	9GF437036
2	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	1SR877801
3	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	7WN405280
4	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	2AK921144
5	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	5DC689075
6	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	8WP270537
7	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	5NN451880
8	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	9UT541208
9	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	2ES903675
10	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	1FV477704
11	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	5QQ508790
12	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	4UQ357378
13	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	4DF385136
14	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	4ML797901
15	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	5NE038113
16	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	7HQ531833
17	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	2GC204305
18	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	8AP738663
19	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	9UA406017
20	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	3NC857410
21	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	3BV512885
22	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	3SW281574
23	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	4RT121722
24	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	6ST342757
25	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	1BW652436
26	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	0WP994010
27	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	6SD264305
28	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	8US423041
29	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	3ND132572

30	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	0DM318064
31	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	1BA560477
32	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	2CB913630
33	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	3PH184862
34	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	2BE356989
35	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	6GR329590
36	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	5TH041876
37	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	4VC172279
38	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	3MP551694
39	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	5RE287841
40	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	1BE578814
41	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	0HN963066
42	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	3GE987992
43	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	6DC648562
44	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	9BN555030
45	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	9VL626971
46	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	0QQ301438
47	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	9PC969866
48	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	1SM949599
49	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	3CF993831
50	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	7HP568645

रूबरू गवाहन श्रीमती सोनू महिला कानि. से प्राईवेट कार की डेस बोर्ड में से फिनॉलफथलीन पाउडर मंगवाकर निर्देशित कर उक्त प्रस्तुत भारतीय मुद्रा के सभी नोटों पर फिनॉलफथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। उसके बाद गवाह श्री राजेश कुमार वरिष्ठ सहायक से परिवादी श्री नरेश कुमार आनन्द की जामा तलाशी करवाकर उसके पास पहने कपड़ों के अलावा मोबाईल को छोडकर कुछ भी नहीं रहने देकर उक्त पाउडर लगे नम्बरी 25,000/– रू. को श्रीमती सोनू महिला कानि. 175 से ही परिवादी की पहनी पेंट की सामने की बांयी जेब में सावधनी पुर्वक रखवाये एवं निर्देश दिये कि वह आरोपित की मांग से पूर्व सुपुर्द राशि के हाथ नहीं लगाये तथा उनके मांगने पर ही रिश्वत राशि अपनी जेब से निकालकर आरोपित को देवें एवं आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात इत्मीनान से ट्रेप पार्टी को देखते हुए अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर ईशारा करें। यदि ईशारा करने का मौका नही मिले तो मोबाईल से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल न. 9414000061 पर मिस कॉल/कॉल करे। गवाहन को भी यथा सम्भव मौका पर सम्भावित रिश्वत राशि लेन देन को नजदीक से देखने व आरोपी व परिवादी के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने के प्रयास करने का कहा गया। फिर एक पानी भरे कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा फिर उसमे श्रीमती सोनू महिला कानि. के दोनो हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो घोल गुलाबी हो गया। इस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण बताकर उसकी महत्वता व उपयोगिता एवं परिणाम के बारे में भली भान्ति समझाया गया। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को नाली में फिंकवाकर गिलास को साबुन पानी से साफ धुलवाया गया व अखबार जिस पर रखकर नोटों पर पाउडर लगाने की कार्यवाही की गयी, को जलाकर नष्ट किया गया एंव समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथों व गिलास को साबुन पानी से साफ धुलाया गया। सोडियम कार्बोनेट अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप सामग्री में साथ लिया गया। तत्पश्चात कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरीकार्ड सहित सहपरिवादी श्री रविन्द्र सिह खत्री को रिश्वती लेन देन के समय की वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु दिया जाकर हिदायत मुनासिब की गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पृथक से मुर्तिब कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। श्रीमती सोनू महिला कानि. को फिनाफ्थलीन पाउडर की शीशी सहित हिदायत मुनासिब कर ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ के लिए रवाना किया गया। समय 05.00 पीएम पर परिवादी श्री नरेश कुमार आनन्द व सहपरिवादी श्री रविन्द्र सिह खत्री ने गवाहन की मौजूदगी में बताया कि श्री सगुन वर्मा ने चार बजे तक फोन करने का कहा था परन्तु अब तक उसका फोन नहीं आया है हम उससे जाकर उसके कार्यालय में मिल लेते है वो हमे वहां पर मिल जायेगा और उसके द्वारा रिश्वत राशि मागंने पर उसे रिश्वत राशि दे देगें। इस पर परिवादी श्री नरेश कुमार आनन्द सहपरिवादी श्री रविन्द्र सिह खत्री व विनय विशाल कानि. को परिवादी के निजि वाहन से व मन् उप अधीक्षक पुलिस मय श्री बाबूलाल स्वतंत्र गवाह, श्री राजेश कुमार स्वतंत्र गवाह, श्री हसंराज मुख्य आरक्षक 55, श्री वरूण कुमार कानि. 97, श्री राजेश कुमार कानि. 484, श्री संदीप कानि. 273 श्री ओमप्रकाश कानि.चालक 578 जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहनों से मय अनुसंधान

सामग्री व ट्रेप बाक्स सहित आनन्द हास्पीटल सैक्टर नं. 17 श्रीगंगानगर से फायर कार्यालय श्रीगंगानगर के लिए रवाना हुए। समय 05.25 पीएम पर मन् उपअधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के उपरौक्त फिकरा का रवानाशुदा फायर कार्यालय श्रीगंगानगर के पास पहुंचा, परिवादी श्री नरेश कुमार आनन्द व सहपरिवादी श्री रविन्द्र सिह खत्री को आवश्यक हिदायत देकर आरोपी से संपर्क करने हेतु फायर कार्यालय श्रीगंगानगर की तरफ रवाना किया गया, मन् उपअधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के फायर कार्यालय के आस–पास गोपनीय रूप से मुकिम हुए। समय 05.40 पीएम पर परिवादी श्री नरेश कुमार आनन्द व सहपरिवादी श्री रविन्द्र सिह खत्री फायर कार्यालय श्रीगंगानगर से बिना कोई ईशारा किये बाहर आकर मन् उपअधीक्षक पुलिस को मिले व डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मन् उपअधीक्षक पुलिस ने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री नरेश कुमार आनन्द व सहपरिवादी श्री रविन्द्र सिह खत्री ने बताया की हमें फायर कार्यालय श्रीगंगानगर में श्री सगुन वर्मा उपस्थित मिले ओर उनसे हमने वार्ता की तो उन्होने हमारे कार्य में समय लगने की संभावना बतायी ओर हमारे द्वारा रिश्वती राशि बाबत पूछने पर उन्होने कहा की मैं कल आपके घर से ले लूंगा और कल सुबह 9.00 एएम पर हास्पीटल आने बाबत कहा। उक्त वार्ता हमने डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की है जिस पर डी.वी.आर. को चलाकर सुना गया तो परिवादी व सहपरिवादी के कथनों की ताईद हुई। उक्त रिकॉर्डिंग की आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जायेगी। परिवादी को सुपुर्दशुदा रिश्वत राशि श्री ओमप्रकाश कानि.चालक के जरिये सरकारी गाड़ी के डेस बोर्ड में सुरक्षित रखवायी गई। परिवादी व सहपरिवादी को हिदायत मुनासिब कर रवाना किया गया एंव मन् उपअधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान मय अनुसंधान सामग्री व ट्रेप बाक्स के व सरकारी व प्राईवेट वाहन से मौके से ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ के लिए रवाना हुआ। समय 08.00 पीएम पर मन् उपअधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ उपस्थित आया। अनुंसधान सामग्री व ट्रेप बाक्स कार्यालय में रखवाये गये। सरकारी गाड़ी के डेश बोर्ड में रखी हुई रिश्वत राशि के बारे में श्री ओमप्रकाश कानि. चालक को हिदायत मुनासिब की गई। गवाहन श्री बाबूलाल व श्री राजेश कुमार को हिदायत मुनासिब कर कार्यालय से रूखसत किया गया। दिनांक 05.12.2022 व आज दिनांक 21.12.2022 को रिकॉर्डिंग शुदा डी.वी.आर. को अपने पास सुरक्षित रखा। दिनांक 22.12.2022 समय 05.00 एएम पर पूर्व हिदायतानुसार स्वतंत्र गवाह श्री बाबूलाल कनिष्ठ सहायक व श्री राजेश कुमार वरिष्ठ सहायक ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। समय 06.00एएम पर मन् उपअधीक्षक पुलिस मय स्वंतत्र गवाह श्री बाबूलाल व श्री राजेश कुमार, ब्यूरो स्टाफ के श्री राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक, श्री हसंराज मुख्य आरक्षक 55, श्री विनय विशाल कानि. 576, श्री वरूण कुमार कानि. 97, श्री राजेश कुमार कानि. 484, श्री संदीप कानि. 273 व कानि.चालक श्री ओमप्रकाश के जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहन से मय अनुंसधान सामग्री व ट्रेप बाक्स व दिनांक 05.12.2022 व दिनांक 21.12.2022 को रिकॉर्डिंग शुदा डी. वी.आर. को साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ से आनन्द हास्पीटल श्रीगंगानगर के लिए रवाना हुआ। समय 08.30एएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् उपअधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के आनन्द हास्पीटल श्रीगंगानगर पहुंचा, जहां पूर्व हिदायतानुसार परिवादी श्री नरेश कुमार आनन्द व सहपरिवादी श्री रविन्द्र सिह खत्री उपस्थित मिले। समय 08.40 एएम पर रूबरू गवाहन सरकारी वाहन के डेश बोर्ड में रखी रिश्वत राशि को श्री ओमप्रकाश कानि. चालक के जरिये डेश बोर्ड से निकलवायी जाकर परिवादी श्री नरेश कुमार आनन्द के पहनी हुई पेंट की आगे की बांयी जेब में रखवायी गई एंव रिश्वत लेन देन की वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु सहपरिवादी श्री रविन्द्र सिह खत्री को डी.वी.आर. हिदायत मुनासिब कर सुपुर्द किया गया एंव मन् उपअधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह एंव हमराहीयान ब्यूरो स्टाफ के हास्पीटल परिसर में गोपनीय रूप से मुकिम हुआ। समय 12.30 पीएम पर रूबरू गवाहन मन् उपअधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री नरेश कुमार आनन्द व सहपरिवादी श्री रविन्द्र सिह खत्री से हास्पीटल परिसर में ही संपर्क कर आरोपी के अब तक हास्पीटल नहीं आने के बारे में पूछा तो सहपरिवादी श्री रविन्द्र सिह खत्री ने बताया की आज कल श्रीगंगानगर में दमकल विभाग में नई भर्ती चल रही है तो हो सकता है कि श्री सगुन जी उसमे व्यस्त हो और हो सकता है शाम तक आये इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी व सहपरिवादी को हिदायत मुनासिब की एंव स्वंय मय हमराहीयान के हास्पीटल परिसर में गोपनीय रूप से मुकिम हुआ। समय 05.00 पीएम पर सहपरिवादी श्री रविन्द्र सिह खत्री ने मन् उपअधीक्षक पुलिस को बताया की श्री सगुन जी ने मुझे संपर्क कर बताया कि वे थोड़ी देर में ही हास्पीटल आकर पांच सौ रूपये की रसीद उन्हे देने व पच्चीस हजार रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु आ रहे है, इस मन् उपअधीक्षक पुलिस ने परिवादी सहपरिवादी को मुनासिब हिदायत की एंव स्वतंत्र गवाह व ब्यूरो स्टाफ को इस बाबत जानकारी देकर सतर्क रहने की हिदायत की। दिनांक 22.12.2022 समय 05.35 पीएम पर परिवादी श्री नरेश कुमार आनन्द ने आनन्द हास्पीटल के कमरा नंबर 01 से बाहर आकर ट्रेप का निर्धारित ईशारा करने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने तुरन्त दोनो स्वंतत्र गवाहन व ब्यूरो स्टाफ को साथ लेकर परिवादी नरेश कुमार आनन्द के पास पहुचं उनके साथ तुरन्त कमरा नंबर 01 में प्रवेश किया तो सहपरिवादी रविन्द्र सिह खत्री ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द करते हुए बताया की श्री शुगनचंद वर्मा ने

हमारे हास्पीटल के फायर एन.ओ.सी. से संबंधित कार्य के लिए बात करते हुए श्री नरेश कुमार आनन्द से 25000/–रूपये गिनकर प्राप्त कर अपने पहनी हुई लॉवर की पीछे की बांयी जेब में रख लिये, इस पर मन् उपअधीक्षक पुलिस ने उस व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय दिया तो वह घबरा गया ओर कहने लगा की गलती हो गई साहब मदद करो, जिस पर उसे तसल्ली देकर उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री शुगनचन्द पुत्र श्री गोपीराम जाति कुम्हार उम्र–49 वर्ष निवासी मकान नंबर 4 डी 4 सदभावनानगर पु0था0 सदर श्रीगंगानगर हाल सहायक अग्निशमन अधिकारी, दमकल विभाग श्रीगंगानगर होना बताया इस पर आरोपी श्री शुगनचंद से परिवादी श्री नरेश कुमार आनन्द व सहपरिवादी श्री रविन्द्र सिह खत्री से 25,000/–रूपये रिश्वत लेने के बारे में पूछा तो आरोपी शुगनचंद ने बताया कि श्री नरेश कुमार आनन्द व श्री रविन्द्र खत्री करीब एक–डेढ महिने पहले मेरे पास अपने आनन्द हास्पीटल की फायर एन.ओ.सी. हेतु आये थे और इन्होने कहा की हमने फायर एन.ओ.सी. के लिए आनलाईन आवेदन कर दिया है, जिस पर मेरे द्वारा नियमानुसार अपनी रिपोर्ट काफि दिन पहले ही कर दी थी, फिर ये मेरे पास आये व कहने लगे की कुछ ले देकर हमारा काम जल्दी कर दो तो मैने कहा की काम नियमानुसार होगा व जो मेरे द्वारा काम किया जाना था वह कर दिया है आगे अधिकारियों के हस्ताक्षर से ही एन.ओ.सी. जारी होगी, मेरे द्वारा इनसे कोई रिश्वत नहीं मांगी गई थी आज मेरे द्वारा इनके एन.ओ.सी. से संबंधित रसीद भी काटकर आनलाईन करवायी गई थी जिसे ही मै देने आया तो इन्होने अपनी मर्जी से राजीखुशी खर्चेपानी के 25000/–रूपये दिये जिसे मैने गिनकर अपने पहनी हुई लॉवर की पीछे की बांयी साईड की जेब में रख लिये, मेरे द्वारा इनसे कभी कोई रिश्वत नहीं मांगी गई ना ही मेरे द्वारा इन्हे रिश्वत हेतु कभी तंग परेशान किया इन्होने अपनी मर्जी से ही दिये है, इस पर मौके पर उपस्थित परिवादी श्री नरेश कुमार आनन्द ने बताया की मैने अपने बेटे के लिए एक हास्पीटल सैक्टर 17 हनुमानगढ़ रोड़ श्रीगंगानगर में बनाया है। उक्त हास्पीटल को मेरा लड़का डॉक्टर दीपक आनन्द सम्भालता है, हमने हमारे उक्त हास्पीटल की फायर एन.ओ.सी. के लिए फायर आफिस श्रीगंगानगर में लगभग दो माह पूर्व नियमानुसार आवेदन किया था परन्तु हमारी एन.ओ.सी. जारी नहीं हुई तब मैं व हमारे हास्पीटल के स्टाफ श्री रविन्द्र सिह खत्री कुछ समय पहले फायर आफिस श्रीगंगानगर में जाकर हमारी एन.ओ.सी. के बारे में मालूमात किया तो एन.ओ.सी. की फाईल इस कार्यालय में ही पेंडिग चल रही थी। इसी दौरान इसी आफिस के कर्मचारी श्री शुगनचंद जी ने मेरे साथ गये श्री रविन्द्र सिह खत्री को कहा कि एन.ओ.सी. ऐसे ही जारी नहीं होगी इसके लिए आपको मुझे नरेश जी से 30000/–रूपये दिलवाने पडेंगे। यह बात श्री रविन्द्र सिह खत्री ने वहीं पर मुझे बताई तो मैने श्री शुगन वर्मा से इस बारे में बात करनी चाही तो श्री शगुन वर्मा ने मुझे कहा कि मैने जो बताना था वह श्री रविन्द्र जी को बता दिया है आप उसी अनुसार आगे कार्यवाही करो ताकि मैं आपकी एन. ओ.सी. जारी करवा सकूं और उन्होने कहा कि आप अगली बार जब भी हमारे आफिस आयें तो श्री रविन्द्र जी को ही साथ लाना, इसके बाद मैं और रविन्द जी वहां से आ गये, इस पर मेरे द्वारा दिनांक 02.12.2022 को आपको प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर आप द्वारा दिंनाक 05.12. 2022 को करवाये गये सत्यापन में श्री शुगन जी ने हमसे एनओसी जारी करवाने की एवज में हमसे 30000/–रूपये की रिश्वत की मांग की थी हमारे द्वारा रिक्वेस्ट करने पर 25000/–रूपये रिश्वत लेने हेतु सहमत हुए थे और आज हमारे द्वारा इन्हे रिश्वत के ही 25000/–रूपये दिये थे इन्होने हमे फायर एनओसी की रसीद भी हमे लाकर दी है हमने राजीखुशी नही बल्कि रिश्वतस्वरूप 25000/–रूपये श्री शुगन जी को दिये है, सहपरिवादी श्री रविन्द्र सिह खत्री ने भी उक्त तथ्यों की ताईद की। परिवादी द्वारा उक्त रसीद की फोटो प्रति पेश की जिस पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली कि गई। रिश्वत राशि का आदान प्रदान की ताईद होने पर आरोपी शुगनचंद सहायक अग्निशमन अधिकारी के दोनो हाथो की धुलवाई हेतु दो साफ कांच के गिलासों में साफ पानी भरवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना उपस्थित गवाहन ने ताईद किया फिर एक कांच के गिलास के तैयार घोल मे आरोपी शुगनचंद के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ जिसकी गवाहन द्वारा ताईद करने पर धोवन को दो साफ कांच की शिशियों में मौके पर आधा आधा भरवाया जाकर सील मोहर चिट कर मार्का आर–1, आर–2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इस विधि अनुसार दूसरे कांच की गिलास में तैयार घोल में आरोपी के बांये हाथ की अगुंलियो व अगूंठे को घोल मे डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ जिसकी गवाहन द्वारा ताईद करने पर धोवन को दो साफ कांच की शिशियों में मौके पर आधा आधा भरवाया जाकर सील मोहर चिट कर मार्का एल–1, एल–2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर गवाह श्री राजेश कुमार को निर्देश देने पर गवाह श्री राजेश कुमार ने आरोपी श्री शुगनचंद के पहनी लावर की पीछे की बांयी साईड की जेब को चैक करवाया तो गवाह श्री राजेश कुमार ने 500–500/–रूपये के नोटों की थैई निकाल कर गिनकर कुल 25,000/–रूपये होना बताया जिस पर दूसरे गवाह श्री बाबूलाल को फर्द सुपुर्दगी नोटों देकर अंकित नोटो के नंबरो का

मिलान बरामदा नोटों के नंबरों से करवाने पर दोनो गवाहन ने हुबहू रिश्वत राशि वाले नोट होना बताने पर उक्त नोटों के नंबर फर्द में अंकित किये गये।उक्त बरामद नोटो को एक कपड़े के टुकड़े में सील चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। रिश्वत राशि आरोपी की पहनी लॉवर की पीछे की बाएं जेब से बरामद हुई है, लॉवर की जेब की धुलवाई करवायी जाना आवश्यक होने से एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, जिसकी ताईद गवाहान द्वारा करने पर आरोपी को पहनने को सस्मान दूसरा लॉवर दिया जाकर पहनी हुई लॉवर को उतरवाकर उसकी पीछे की बाएं जेब को उल्टवाकर उक्त तैयार घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे मौके पर दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर मौके पर सिल मोहर चिट कर मार्का पी–1, पी–2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर उक्त लॉवर को कपड़े की थैली में डालकर थैली को मौके पर सील मोहर चीट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर आरोपी से परिवादी नरेश कुमार आनन्द से संबंधित दस्तावेज के संबंध में पूछा गया तो आरोपी ने बताया की इससे संबंधित पत्रावली मेरे कार्यालय की अलमारी में पड़ी है, जिस पर संबंधित के नंबर लेकर उसको पत्रावली सहित उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पृथक से मुर्तिब कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। वक्त 07.15 पीएम पर फर्द नमूना सील तैयार की गई। आरोपी श्री शुगनचंद सहायक अग्निशमन अधिकारी को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका व हालात मौका कसीद कर फर्द मुर्तिब की गई। समय 07.45 पीएम पर मन् उपअधीक्षक पुलिस के पास दिनांक 05.12.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन से संबंधित डी.वी.आर. सुरक्षित है जिसे कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 05.12.2022 को रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल है, उक्त रिकॉर्डवार्ता के लिए तीन खाली नई डीवीडियां मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर लेपटॉप के जरिये श्री विनय विशाल कानि0 576 से उक्त वार्ता को तीन डीवीडी में बारी बारी से डाउनलोड करवाया तथा उनमें वार्ता डाउनलोड होना सुनिश्चित होने पर उन्हे मार्क ए–1, मार्क ए–2, मार्क ए–3 दिया गया, उनमें से दो डीवीडी मार्क ए–1 व मार्क ए–2 पर हाजरिन के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त डीवीडीयों को प्लास्टिक लिफाफा कवर में अलग–अलग डालकर उक्त डीवीडी को कवर सहित कपड़े की थैली में अलग–अलग डलवाकर थैली को सील्ड किया जाकर मार्क ए–1 व मार्क ए–2 अंकित कर हाजरीन के थैली पर हस्ताक्षर करवाये गये एवं तीसरी डीवीडी मार्क ए–3 को एक प्लास्टिक लिफाफे कवर में डलवाकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखा गया,डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 05.12.2022 को रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल है को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकाल कर एक सफेद कागज में लपेट कर एक खाली माचिस की डिब्बी में डालकर, माचिस की डिब्बी को कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर मार्क A देकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द मुर्तिब की गई। समय 10.00 पीएम पर मन् उपअधीक्षक पुलिस के पास दिनांक 21.12.2022 को हुई परिवादी, सहपरिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता से संबंधित डी.वी.आर. सुरक्षित है जिसे कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 21.12.2022 को रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल है, उक्त रिकॉर्डवार्ता के लिए तीन खाली नई डीवीडियां मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर लेपटॉप के जरिये श्री विनय विशाल कानि0 576 से उक्त वार्ता को तीन डीवीडी में बारी बारी से डाउनलोड करवाया तथा उनमें वार्ता डाउनलोड होना सुनिश्चित होने पर उन्हे मार्क बी–1, मार्क बी–2, मार्क बी–3 दिया गया, उनमें से दो डीवीडी मार्क बी–1 व मार्क बी–2 पर हाजरिन के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त डीवीडीयों को प्लास्टिक लिफाफे कवर में अलग–अलग डालकर उक्त डीवीडी को कवर सहित कपड़े की थैली में अलग–अलग डलवाकर थैली को सील्ड किया जाकर मार्क बी–1 व मार्क बी–2 अंकित कर हाजरीन के थैली पर हस्ताक्षर करवाये गये एवं तीसरी डीवीडी मार्क बी–3 को एक प्लास्टिक लिफाफे कवर में डलवाकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखा गया,डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 21.12.2022 को रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल है को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकाल कर एक सफेद कागज में लपेट कर एक खाली माचिस की डिब्बी में डालकर, माचिस की डिब्बी को कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर मार्क B अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द मुर्तिब की गई। समय 10.45 पीएम पर मन् उपअधीक्षक पुलिस के पास वक्त रिश्वत लेनदेन दिनांक 22.12.2022 को हुई परिवादी, सहपरिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता से संबंधित डी.वी.आर. सुरक्षित है जिसे कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 22.12.2022 को रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल है, उक्त रिकॉर्डवार्ता के लिए तीन खाली नई डीवीडियां

मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर लेपटॉप के जरिये श्री विनय विशाल कानि0 576 से उक्त वार्ता को तीन डीवीडी में बारी बारी से डाउनलोड करवाया तथा उनमें वार्ता डाउनलोड होना सुनिश्चित होने पर उन्हे मार्क सी–1, मार्क सी–2, मार्क सी–3 दिया गया, उनमें से दो डीवीडी मार्क सी–1 व मार्क सी–2 पर हाजरिन के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त डीवीडीयों को प्लास्टिक लिफाफा कवर में अलग–अलग डालकर उक्त डीवीडी को कवर सहित कपड़े की थैली में अलग–अलग डलवाकर थैली को सील्ड किया जाकर मार्क सी–1 व मार्क सी–2 अंकित कर हाजरीन के थैली पर हस्ताक्षर करवाये गये एवं तीसरी डीवीडी मार्क सी–3 को एक प्लास्टिक लिफाफे कवर में डलवाकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखा गया,डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 22.12.2022 को रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल है को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकाल कर एक सफेद कागज में लपेटकर एक खाली माचिस की डिब्बी में डालकर, माचिस की डिब्बी को कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर मार्क C अंकित कर सबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द मुर्तिब की गई। तत्पश्चात कार्यवाही के दौरान काम में ली गई पीतल की सील को रूबरू गवाहन नष्ट कर फर्द नष्टीकरण मुर्तिब की गई। परिवादी से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर रात्रि सुरक्षा हेतु पुलिस थाना सदर श्रीगंगानगर की हवालात में भिजवाया गया। दिनांक 23.12.2022 को आरोपी श्री शुगनचंद सहायक अग्निशमन अधिकारी को माननीय न्यायालय में पेश कर जे.सी. करवाया गया। परिवादी व सहपरिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। श्रीगंगानगर से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ पहुंच कार्यवाही में जब्तशुदा माल–वजह सबूत छः शिशिया, सील्डशुदा रिश्वत राशि 25,000/–रूपये, सील्डशुडा डी.वी.डी. की छः थैलीया, सील्डशुदा मैमोरीकार्ड की तीन थैलीया श्री हसंराज मुख्य आरक्षक को सुरक्षित संभलाया जाकर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर मालखाना में रखवाया गया।

इस प्रकार परिवादी नरेश कुमार आनन्द पुत्र श्री जीवनदास निवासी आनन्द हास्पीटल सैक्टर नं. 17 हनुमानगढ़ रोड़ श्रीगंगानगर के प्रार्थना पत्र दिनांक 02.12.2022 में अंकित तथ्यों एंव मजमून दरियाफ्त के आधार पर दिनांक 05.12.2022 को करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन से आरोपी श्री शुगन चन्द सहायक अग्निशमन अधिकारी, दमकल विभाग,नगर परिषद श्रीगंगानगर द्वारा 30000/–रूपये मांग की परिवादी द्वारा वक्त सत्यापन रिकवेस्ट करने पर 5000/–रूपये कम कर 25000/–रूपये लेने हेतु सहमत होने के तथ्य रिकॉर्ड पर आये, जिस पर दिनांक 22.12.2022 को रूबरू गवाहन 25,000/–रूपये रिश्वत राशि पर ट्रेप का आयोजन किया गया। वक्त रिश्वत लेन–देन आरोपी श्री शुगन चन्द सहायक अग्निशमन अधिकारी, दमकल विभाग,नगर परिषद श्रीगंगानगर द्वारा परिवादी से 25,000/–रूपये प्राप्त कर अपनी पहने लॉवर की पीछे की बांयी साईड की जेब में रखे जहां से रिश्वत राशि बरामद होने, आरोपी के दोनो हाथों की धुलवाई से प्राप्त धोवन गुलाबी, व रिश्वती राशि बरामदगी स्थान लॉवर की पीछे की बांयी जेब से प्राप्त धोवन गुलाबी प्राप्त होने एंव वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता में आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने की पुष्ठि होने, परिवादी का कार्य वक्त ट्रेप आरोपी के पास पेण्ड़िग होना अंकित तथ्यों के आधार पर आरोपी श्री शुगन चन्द सहायक अग्निशमन अधिकारी, दमकल विभाग,नगर परिषद श्रीगंगानगर द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपने पद का दुरूपयोग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण कर परिवादी नरेश कुमार आनन्द से वक्त सत्यापन 25000/–रूपये लेने हेतु सहमत होकर व वक्त रिश्वत लेन देन 25000/–रूपये रिश्वत स्वरूप प्राप्त किये गये आदि तथ्यों से श्री शुगन चन्द पुत्र श्री गोपीराम जाति कुम्हार उम्र–49 वर्ष निवासी मकान नंबर 4 डी 4 सदभावना नगर पु0था0 सदर श्रीगंगानगर हाल सहायक अग्निशमन अधिकारी, दमकल विभाग नगर परिषद श्रीगंगानगर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का अपराध घटित होना पाया गया है। अतः श्री श्री शुगन चन्द पुत्र श्री गोपीराम जाति कुम्हार उम्र–49 वर्ष निवासी मकान नंबर 4 डी 4 सदभावना नगर पु0था0 सदर श्रीगंगानगर हाल सहायक अग्निशमन अधिकारी, दमकल विभाग नगर परिषद श्रीगंगानगर के विरूद्ध वर्णित उक्त धारा में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

(रविन्द्र सिह)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्र.नि.ब्यूरो, हनुमानगढ़

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रविन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुगनचंद हाल सहायक अग्निशमन अधिकारी, दमकल विभाग नगर परिषद श्रीगंगानगर के विरूद्ध अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 484/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(सवाई सिंह गोदारा)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 4120-23 दिनांक 23.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,श्रीगंगानगर।
2. आयुक्त, नगर परिषद, श्रीगंगानगर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़।

23/12/22
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।